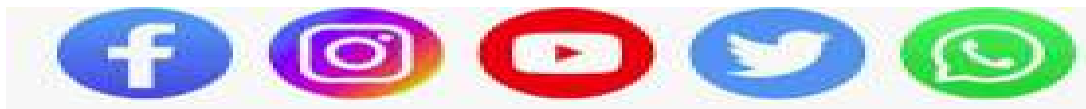


VAID ICS LUCKNOW



करेंट अफेयर्स मैगज़ीन
यूपीएससी / यूपी पीसीएस
फरवरी, 2025



B-36, SECTOR-C, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

क्र. सं. टॉपिक	पृष्ठ सं.	क्रम सं. टॉपिक	पृष्ठ सं.
1. अमेरिका की नई वीजा योजना "गोल्ड कार्ड"	1	प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य	
2. सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक	3	1. एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART)	31
3. सर्विलांस कैपिटलिज्म	5	2. सरस आजीविका मेला 2025	32
4. स्रोत पर कचरे का पृथक्करण	6	3. सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान	32
5. क्वांटम कंप्यूटिंग	8	4. रैडिकल डेमोक्रेसी	33
6. वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान परिवर्तन का अनुमान	10	5. COP30 : अतिरिक्त बहुपक्षीय तंत्र	34
7. ERONET 2.0 प्लेटफॉर्म	12	6. अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क	35
8. आब्रजन और विदेशी विधेयक, 2025	14	7. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024	35
9. राजनयिक छूट और प्रोटोकॉल	16	8. भारतीय दीर्घ-चोंच गिद्ध	37
10. बोडो शांति समझौता और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन	18	9. राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम	37
11. CBI विशेष न्यायालय /भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA)	20	10. सीमा सड़क संगठन	38
12. तमिलनाडु का मैंग्रोव क्षेत्र दोगुना होने की उम्मीद	22		
13. प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना	24		
14. ई-नाम 2.0	25		
15. 97वां अकादमी पुरस्कार	27		
16. ग्लेशियर हिमस्खलन	28		
17. चंद्रयान-5 मिशन	29		

अमेरिका की नई वीज़ा योजना "गोल्ड कार्ड"

चर्चा में क्यों ? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी निवेशकों के लिए एक नई वीज़ा योजना "गोल्ड कार्ड" की घोषणा की है, जो स्थायी निवास (पर्मनेंट रेज़िडेंसी) और अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रदान करेगी।

- **मूल्य:** \$5 मिलियन (लगभग ₹43 करोड़)।
- **विशेषाधिकार:** ग्रीन कार्ड लाभ और नागरिकता का सीधा मार्ग।

EB-5 प्रोग्राम का स्थान लेगा गोल्ड कार्ड:

EB-5 प्रोग्राम का अवलोकन:

- 1990 में शुरू किया गया।
- न्यूनतम \$1.05 मिलियन (कुछ मामलों में \$800,000) का निवेश आवश्यक था।
- निवेशकों को कम से कम 10 अमेरिकी नौकरियां उत्पन्न करनी होती थीं।

गोल्ड कार्ड की विशेषताएं:

- अमेरिकी व्यवसायों में निवेश की कोई अनिवार्यता नहीं।
- नौकरियां सृजित करने की शर्त नहीं।
- सरल मॉडल: \$5 मिलियन का सीधा भुगतान।

अमेरिका को संभावित लाभ:

आर्थिक प्रोत्साहन:

- उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों से रियल एस्टेट, लक्ज़री बाज़ार और व्यवसायों में निवेश की संभावना।

धोखाधड़ी में कमी:

EB-5 प्रोग्राम में देखी गई धोखाधड़ी और जटिलताओं को समाप्त करता है।

चिंताएं और आलोचनाएं:

नैतिक और राजनीतिक मुद्दे:

- इसे "अमेरिकी नागरिकता की बिक्री" के रूप में देखा जा सकता है।
- धन को योग्यता और कौशल के ऊपर प्राथमिकता देना।
- बिना ठोस आर्थिक योगदान के अमीर वर्ग को लाभ पहुंचाने की संभावना।

कानूनी जोखिम:

- मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी प्रभाव का जोखिम।

भारतीयों पर प्रभाव:

EB-5 प्रोग्राम में कम भागीदारी:

- 2023 में केवल **631 भारतीयों** ने EB-5 प्रोग्राम के तहत ग्रीन कार्ड प्राप्त किया।

उच्च लागत बाधा:

- ₹43 करोड़ (\$5 मिलियन) की कीमत के कारण यह योजना अधिकांश भारतीय निवेशकों के लिए अप्रासंगिक होगी।

इमिग्रेंट वीजा और नॉन-इमिग्रेंट वीजा:

अमेरिका में वीजा विभिन्न उद्देश्यों और आवेदकों की आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है: **इमिग्रेंट वीजा** और **नॉन-इमिग्रेंट वीजा**।

इमिग्रेंट वीजा (Immigrant Visa):

यह वीजा स्थायी निवास (Permanent Residency) के लिए होता है, जो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने और अंततः अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।

प्रमुख प्रकार:

परिवार आधारित वीजा (Family-Based Visa):

- Immediate Relative (IR) वीजा
- Family Preference (F) वीजा

रोजगार आधारित वीजा (Employment-Based Visa):

- **EB-1:** असाधारण कौशल वाले पेशेवर (जैसे वैज्ञानिक, शोधकर्ता)।
- **EB-2:** उच्च शिक्षित पेशेवर।
- **EB-3:** कुशल श्रमिक और पेशेवर।
- **EB-4:** विशेष श्रेणियां (धार्मिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी)।
- **EB-5:** निवेशक वीजा (न्यूनतम \$1.05 मिलियन का निवेश)।

डाइवर्सिटी वीजा (Diversity Visa):

- ग्रीन कार्ड लॉटरी के माध्यम से उन देशों के नागरिकों को दिया जाता है जिनका अमेरिका में कम प्रतिनिधित्व है।

नॉन-इमिग्रेंट वीजा (Non-Immigrant Visa)

- यह वीजा अस्थायी अवधि के लिए होता है, जैसे काम, पढ़ाई, यात्रा, या चिकित्सा उपचार।

प्रमुख प्रकार:

पर्यटक वीजा (Tourist Visa):

- **B-1:** व्यावसायिक यात्रा।
- **B-2:** पर्यटन, छुट्टी, या चिकित्सा उपचार।

स्टूडेंट वीजा (Student Visa):

F-1: पढ़ाई के लिए।

M-1: व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए।

कार्य वीजा (Work Visa):

H-1B: विशेष व्यवसायों के लिए कुशल पेशेवर।

H-2A: कृषि श्रमिकों के लिए।

H-2B: अस्थायी गैर-कृषि कार्य के लिए।

L-1: इंटर-कंपनी ट्रांसफर।

O-1: असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए।

व्यवसाय और निवेश वीजा (Business and Investment Visa):

E-1: व्यापार वीजा।

E-2: निवेशक वीजा।

कूटनीतिक वीजा (Diplomatic Visa):

- **A वीजा:** सरकारी और राजनयिक कार्यों के लिए।

अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान वीजा (Exchange Visitor Visa):

- **J-1:** एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए।

अस्थायी धार्मिक कार्यकर्ता वीजा:

R-1: धार्मिक संस्थाओं में काम करने के लिए।

अस्थायी पारिवारिक वीजा:

K-1: अमेरिकी नागरिक के साथ शादी के लिए।

K-2: K-1 वीजा धारक के बच्चों के लिए।

अन्य प्रमुख वीजा:

वीजा वैवर प्रोग्राम (Visa Waiver Program - VWP):

- कुछ देशों के नागरिकों को 90 दिनों तक वीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति।

टीएन वीजा (TN Visa):

- NAFTA के तहत कनाडा और मैक्सिको के नागरिकों के लिए।

टी और यू वीजा (T & U Visa):

- **T वीजा:** मानव तस्करी पीड़ितों के लिए।
- **U वीजा:** अपराध के पीड़ितों के लिए।

सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक

समाचार में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता (Quality of Public Expenditure - QPE)** सूचकांक पेश किया है, जो केंद्र और राज्यों द्वारा धन खर्च करने की गुणवत्ता का आकलन करता है। यह वित्तीय अनुशासन और विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन को मापता है।

मुख्य विशेषताएं**महत्व क्यों रखता है?**

- सरकार का धन **करदाताओं का पैसा** है, और प्रभावी खर्च का सीधा प्रभाव **आर्थिक विकास और जन कल्याण** पर पड़ता है।
- गुणवत्तापूर्ण खर्च **बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य** और अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है।

प्रसंग (Context):**वित्तीय अनुशासन की ओर कदम:****FRBM अधिनियम (2003) का कार्यान्वयन:**

- राजकोषीय घाटा** GDP के **3%** तक सीमित।
- राजस्व घाटा** शून्य तक कम करना (केवल पूंजीगत व्यय के लिए उधार लेना)।
- वार्षिक राजकोषीय घाटे के बजाय कुल ऋण को लक्षित करना।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) पर ध्यान:

- पूंजीगत व्यय (Capex)** उत्पादक क्षमता बढ़ाता है (जैसे सड़क, बुनियादी ढांचा)।
- राजस्व व्यय** आवर्ती खर्च (जैसे वेतन) को कवर करता है।

सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता की चुनौतियां:

- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) और कोविड-19 महामारी** जैसी आर्थिक झटकों के कारण प्रतिपक्षीय व्यय (countercyclical spending)।
- मुफ्त सुविधाओं, सब्सिडी, ऋण माफी**, और बढ़ते ब्याज भुगतान जैसी राजनीतिक प्रवृत्तियां व्यय की गुणवत्ता को कमजोर करती हैं।

RBI का QPE सूचकांक:

यह सूचकांक **पांच मानकों** पर व्यय की गुणवत्ता का आकलन करता है:

- पूंजीगत व्यय का GDP अनुपात:** उच्च होना बेहतर।
- राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय अनुपात:** कम होना बेहतर।
- विकासात्मक व्यय का GDP अनुपात:** उच्च होना बेहतर।
- कुल सरकारी व्यय में ब्याज भुगतान का अनुपात:** कम होना बेहतर।

मुख्य अवलोकन (Key Observations):**गुणवत्ता के चरण (1991-2023):**

- चरण 1 और 2:** वित्तीय दबाव और राजस्व व्यय के बढ़ने से गिरावट।
- चरण 3:** FRBM अधिनियम और आर्थिक विकास के कारण सुधार।
- चरण 4:** GFC के बाद राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण गिरावट।
- चरण 5:** राज्यों में सुधार (14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से); केंद्र को GST से चुनौतियां।

5. **चरण 6:** कोविड से उबरने और Capex पर ध्यान केंद्रित करने से QPE उच्चतम स्तर पर।

वर्तमान स्थिति:

- केंद्र और राज्यों में QPE सूचकांक **1991 के बाद से उच्चतम स्तर** पर, जिसका श्रेय **पूंजीगत व्यय और वित्तीय प्रबंधन** को जाता है।

सर्विलांस कैपिटलिज्म

समाचार में क्यों? सर्विलांस कैपिटलिज्म पर व्यक्तिगत डेटा के वस्तुवादीकरण, गोपनीयता और स्वायत्तता पर इसके प्रभाव, और राज्य निगरानी से इसके जुड़ाव को लेकर आलोचना हो रही है।

सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या है?

- **परिभाषा:** एक आर्थिक प्रणाली जिसमें तकनीकी कंपनियां व्यक्तिगत डेटा को इकट्ठा करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं और उसे बेचती हैं ताकि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सके और उसे नियंत्रित किया जा सके।
- **मुख्य अवधारणा:** शोषणा जुबॉफ़ ने अपनी पुस्तक द एज ऑफ़ सर्विलांस कैपिटलिज्म में इसे एक ऐसा नया आर्थिक मॉडल बताया है, जो डेटा-आधारित लाभ के लिए मानव अनुभव का दोहन करता है। इसे उपनिवेशवाद और औद्योगिक पूंजीवाद जैसे शोषणकारी प्रणालियों के समान माना गया है।
- **शोषणा जुबॉफ़:** उन्होंने द एज ऑफ़ सर्विलांस कैपिटलिज्म (2018) में इस अवधारणा को पेश किया।

यह कैसे काम करता है?

- **डेटा को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करना:** मानव अनुभव से व्यवहार संबंधी डेटा निकाला जाता है और इसे विज्ञापनदाताओं और राजनीतिक अभियानों को बेचा जाता है।
- **इंस्ट्रुमेंटेरियन पावर:** जुबॉफ़ द्वारा गढ़ा गया एक शब्द, जो ऐसी शक्ति को संदर्भित करता है जो भविष्यवाणियों और एल्गोरिदम के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करती है।
- **तकनीकी दिग्गज:** गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनियां इंटरनेट को एक विशाल निगरानी तंत्र में बदल देती हैं, जो हर क्लिक, खोज और ऑफ़लाइन गतिविधियों पर नज़र रखती हैं।

औद्योगिक पूंजीवाद से कैसे अलग है?

- **केन्द्रबिंदु:** औद्योगिक पूंजीवाद श्रम और भौतिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सर्विलांस कैपिटलिज्म व्यवहारिक डेटा निकासी से लाभ कमाता है।
- **नियंत्रण:** सर्विलांस कैपिटलिज्म एल्गोरिदम के माध्यम से उपयोगकर्ता व्यवहार को प्रभावित करता है, स्वायत्तता को कम करता है और हर इंटरैक्शन को मुद्र्रीकरण के अवसर में बदल देता है।

राज्य निगरानी से जुड़ाव:

- **सहयोग:** सरकारें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सामाजिक नियंत्रण के लिए तकनीकी कंपनियों पर अधिक निर्भर होती जा रही हैं।

- **कम जवाबदेही:** निजी कंपनियां निगरानी का प्रबंधन करती हैं, जो सार्वजनिक जांच से परे होती हैं।
- **कानूनी ढांचा:** राज्य डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए समझौतों या गैर-कानूनी तरीकों का उपयोग करते हैं।

गोपनीयता और स्वायत्तता पर प्रभाव:

- **स्वायत्तता का हास:** एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को धीरे-धीरे इस तरह से प्रभावित करते हैं, जिससे कंपनियों को लाभ हो।
- **उदाहरण:**
- **कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला (2014):** फेसबुक उपयोगकर्ता डेटा को बिना अनुमति के एकत्र करना और इसे व्यक्तिगत राजनीतिक विज्ञापनों के लिए उपयोग करना, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ा।
- **वास्तविक-world परिणाम:** डेटा उल्लंघनों और एल्गोरिदमिक विफलताओं के कारण वित्तीय अस्थिरता, गलत सूचना संकट और डिजिटल प्लेटफार्मों पर विश्वास की हानि होती है।

नियमन में चुनौतियां:

- **वर्तमान कानून:** EU के **GDPR** और भारत के **DPDPA** जैसे ढांचे उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा पर नियंत्रण देते हैं, लेकिन डेटा के वस्तुवादीकरण की मूल समस्या को हल करने में विफल रहते हैं।
- **कॉर्पोरेट प्रभाव:** तकनीकी दिग्गज नियमों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए लॉबींग करते हैं।
- **धुंधली रेखाएं:** कॉर्पोरेट शक्ति और राजनीतिक अधिकार के बीच का ओवरलैप जवाबदेही और व्यक्तिगत संरक्षण को सीमित करता है।

आगे का रास्ता:

- **नीतिगत बदलाव की आवश्यकता:** डेटा संग्रह पर मजबूत प्रतिबंध और गोपनीयता सुरक्षा जरूरी है।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ गंभीर रूप से जुड़ाव और मजबूत विनियमन की मांग के लिए सार्वजनिक चर्चा बढ़ाई जानी चाहिए।

स्रोत पर कचरे का पृथक्करण

समाचार में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और **ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016** के अनुपालन के लिए स्रोत पर कचरे के पृथक्करण के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु:

स्रोत पर कचरे के पृथक्करण का महत्व:

- स्रोत पर कचरे का पृथक्करण प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक है।
- बिना पृथक्करण के कचरे को **वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स** में भेजने से पर्यावरण को अधिक नुकसान होता है।

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन:

- ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के बिना स्मार्ट सिटी परियोजनाएं सफल नहीं हो सकतीं।
- गैर-अनुपालन का प्रभाव देशभर के शहरी क्षेत्रों पर पड़ता है।

एनसीआर राज्यों को निर्देश:

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान) को आदेश दिया:

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन पर हलफनामा प्रस्तुत करें।
- समय सीमा और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एक व्यापक कचरा प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
- कचरा प्रबंधन के लिए प्रस्तावित **सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं** को उजागर करें।

न्याय मित्र की भूमिका:

न्याय मित्र **अपराजिता सिंह** ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

- पृथक्करण दरें कम होना।
- बिना पृथक्करण के कचरे को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स में भेजने से प्रदूषण।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट:

- वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट्स के पर्यावरणीय प्रभाव पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश।

दिल्ली में ठोस कचरा संकट:

- दिल्ली में प्रतिदिन लगभग **3,000 टन बिना उपचारित ठोस कचरा** उत्पन्न होता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई वास्तविक समाधान लागू नहीं किया गया तो निर्माण गतिविधियों को रोकने जैसे कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।

अनुपालन पर ध्यान:

- राज्यों को **मार्च 2025** के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद इस मामले की समीक्षा की जाएगी।

स्रोत पर कचरे का पृथक्करण:

स्रोत पर कचरे का पृथक्करण का अर्थ है जहां कचरा उत्पन्न होता है, जैसे घर, व्यवसाय, या संस्थान, वहां इसे अलग-अलग श्रेणियों में अलग करना। यह उचित निपटान, पुनर्चक्रण, और उपचार सुनिश्चित करता है, पर्यावरणीय नुकसान को कम करता है, और संसाधनों की पुनर्प्राप्ति को अधिकतम करता है।

कचरे के प्रकार:**बायोडिग्रेडेबल कचरा:**

- रसोई कचरा, खाद्य अवशेष, बगीचे का कचरा आदि।
- खाद या बायोगैस में परिवर्तित किया जा सकता है।

गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा:

- प्लास्टिक, धातु, कांच आदि।
- पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को पुनः उपयोग के लिए अलग किया जाता है।

खतरनाक कचरा:

- बैटरी, ई-कचरा, रसायन, और चिकित्सा कचरा।
- पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष प्रबंधन और निपटान की आवश्यकता।

स्वच्छता और जैव-चिकित्सा कचरा:

- डायपर, सैनिटरी नैपकिन, और चिकित्सा डिस्पोजल।
- विशेष प्रोटोकॉल के अनुसार निपटान किया जाता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग

समाचार में क्यों? Microsoft ने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ी प्रगति का दावा किया है—एक नई प्रक्रिया विकसित की है जिससे क्वाबिट्स (Quantum Bits) बनाए जा सकते हैं, जो मौजूदा तरीकों की तुलना में अधिक स्थिर और मापनीय (scalable) हैं। कंपनी का दावा है कि यह तकनीक व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर के विकास को दशकों से घटाकर कुछ वर्षों में ला सकती है। हालांकि, इस दावे की अभूतपूर्व प्रकृति और इसे प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण इस पर संदेह भी जताया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:**क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है?**

- **क्वांटम कंप्यूटिंग** एक क्रांतिकारी तकनीक है जो क्वांटम कणों (जैसे सुपरपोज़िशन और एंटैंगलमेंट) की अनूठी विशेषताओं का उपयोग करती है, जिससे गणना पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से की जा सकती है।
- पारंपरिक कंप्यूटर डेटा को **बिट्स** (0 या 1) के रूप में प्रोसेस करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर **क्वाबिट्स** का उपयोग करते हैं, जो **सुपरपोज़िशन** के कारण एक साथ 0 और 1 दोनों स्थितियों में हो सकते हैं।
- यह **पैरेलल प्रोसेसिंग** को सक्षम करता है, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान कई गुना तेज़ी से किया जा सकता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग में चुनौतियाँ:**क्वाबिट्स की स्थिरता:**

- क्वांटम स्थितियाँ बहुत नाजुक होती हैं और बाहरी कारकों (जैसे तापमान, दबाव या अवलोकन) से आसानी से बाधित हो जाती हैं, जिससे त्रुटियाँ होती हैं।

त्रुटि सुधार (Error Correction):

- क्वांटम कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में त्रुटि-सुधार तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रत्येक त्रुटि-सुधारित (logical) क्वाबिट के लिए कई भौतिक क्वाबिट्स की आवश्यकता होती है।

मापनीयता (Scalability):

- वर्तमान क्वांटम कंप्यूटर कुछ सौ या हजार क्वाबिट्स तक सीमित हैं, जबकि वास्तविक अनुप्रयोगों के लिए **दस लाख क्वाबिट्स** की आवश्यकता होती है।

Microsoft ने क्या हासिल किया है?

- Microsoft का दावा है कि उन्होंने क्वाबिट्स बनाने की एक **नई प्रक्रिया** खोजी है, जो इन्हें अधिक स्थिर बनाती है और त्रुटि दर को कम करती है।
- कंपनी का मानना है कि यह विकास कुछ वर्षों के भीतर **दस लाख क्वाबिट्स** वाला क्वांटम कंप्यूटर बनाने को संभव बनाएगा, जबकि अन्य विधियाँ अभी इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं।
- यह प्रक्रिया **मापनीयता** को भी बेहतर बनाती है और त्रुटि-सुधार के लिए आवश्यक भौतिक क्वाबिट्स की संख्या को कम करती है।

संदेह और जांच:

- वैज्ञानिक संदेह कर रहे हैं क्योंकि इस उपलब्धि के लिए आवश्यक भौतिक अवस्था प्राप्त करना अत्यंत कठिन है।
- चूंकि क्वांटम कंप्यूटिंग में पहले भी कई असफल प्रयास और अतिरंजित दावे किए गए हैं, Microsoft की घोषणा का गहन वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है।

विशेषज्ञ की राय:

- आईआईएससी बेंगलुरु** के प्रोफेसर अरिंदम घोष ने कहा कि कम त्रुटियों वाले दस लाख क्वाबिट्स वाले सिस्टम को प्राप्त करना एक **गेम-चेंजर** होगा, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में उल्लेखनीय प्रगति होगी।
- हालांकि, उन्होंने इस उपलब्धि की कठिनाई पर भी जोर दिया और कहा कि इस तरह के बड़े दावों की गहन जांच स्वाभाविक है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

क्वांटम कंप्यूटिंग का उद्योगों को बदलने की क्षमता है क्योंकि यह उन समस्याओं को हल कर सकता है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए असंभव हैं। यदि Microsoft का यह दावा सत्य साबित होता है, तो यह:

- वैज्ञानिक अनुसंधान** को तेज़ कर सकता है।
- स्वास्थ्य सेवा, क्रिप्टोग्राफी, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता** जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है।
- जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा** जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित कर सकता है।

2000 से 2023 तक वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान परिवर्तन का सामुदायिक अनुमान

चर्चा में क्यों: हाल ही में Nature जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन, जिसका शीर्षक है "**Community estimate of global glacier mass changes from 2000 to 2023**", ने यह उजागर किया है कि **विश्वभर में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण इस सदी में समुद्र स्तर में 2 सेमी की वृद्धि हुई है।** यह अध्ययन एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और ज्यूरिख विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और इसमें ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के पानी के थर्मल विस्तार के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि की चिंताजनक गति पर जोर दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

1. अध्ययन के निष्कर्ष:

- **ग्लेशियर बर्फ हानि:**

ग्लेशियर हर साल **273 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं**, जो पृथ्वी की पूरी जनसंख्या द्वारा 30 वर्षों में खपत किए जाने वाले पानी के बराबर है।

- **वैश्विक योगदान:**

2000 से ग्लेशियरों ने **अपनी कुल बर्फ का 5% खो दिया है**, जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के संयुक्त बर्फ हानि से **18% अधिक है।**

- **समुद्र स्तर में वृद्धि:**

ग्लेशियरों के पिघलने के कारण 2000 के बाद से समुद्र स्तर में **2 सेमी की वृद्धि हुई है।**

2. समुद्र स्तर वृद्धि के कारण:

- **ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलना:**

- **वैश्विक तापवृद्धि** के कारण ग्लेशियर और बड़ी बर्फ की चादरें (50,000 वर्ग किमी से अधिक भूमि को कवर करने वाली) तेजी से पिघल रही हैं।

- क्षेत्रीय रूप से ग्लेशियरों ने **2% से 39% तक बर्फ खो दी है।**

- **थर्मल विस्तार:**

- वैश्विक तापमान बढ़ने से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और फैल रहा है, जो समुद्र स्तर वृद्धि के **एक-तिहाई से आधे** के लिए जिम्मेदार है।

3. आंकड़ों में:

- **1880 से:** NOAA के अनुसार, समुद्र स्तर में **21 सेमी की वृद्धि हुई है।**

- **हाल के वर्षों में तेजी:**

- **1993-2024:** वैश्विक समुद्र स्तर में **10 सेमी से अधिक की वृद्धि हुई।**

- **वार्षिक वृद्धि:** 1993

- में 0.18 सेमी/वर्ष से बढ़कर अब 0.42 सेमी/वर्ष हो गई है।

4. क्षेत्रीय विविधताएँ:

- **हिंद महासागर:** समुद्र स्तर वृद्धि 2.5 मिमी/वर्ष है, जो वैश्विक औसत से तेज है (WMO, 2022)।
- **प्रभावित भारतीय शहर:**

मुंबई: 4.44 सेमी वृद्धि (1987-2021)।

हल्दिया: 2.726 सेमी।

विशाखापट्टनम: 2.381 सेमी।

कोच्चि: 2.213 सेमी।

5. समुद्र स्तर वृद्धि के परिणाम:

- **तटीय बाढ़:**

प्रत्येक 1 सेमी की वृद्धि से 20 लाख लोग वार्षिक बाढ़ के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं (एंड्रयू शेफर्ड, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी)।

- **तटीय कटाव:**

उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल ने 1990-2016 के बीच लगभग 99 वर्ग किमी भूमि खो दी।

- **तूफानी लहरें:**

उष्णकटिबंधीय तूफानों के दौरान अधिक पानी अंदर तक आता है, जिससे मैंग्रोव, कोरल रीफ और नमक के दलदली क्षेत्रों जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होते हैं।

- **विस्थापन:**

तटीय क्षेत्रों के पास रहने वाली जनसंख्या विस्थापन के लिए अधिक संवेदनशील है। वैश्विक जनसंख्या का 29% समुद्र तट से 50 किमी के भीतर रहती है।

6. भविष्य की भविष्यवाणियाँ:

- **2050 तक:** वैश्विक समुद्र स्तर में 20 सेमी की और वृद्धि होगी, जो पिछले 100 वर्षों में हुई वृद्धि से दोगुनी होगी (NASA)।
- **बाढ़ पर प्रभाव:** उच्च समुद्र स्तर बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता को और बढ़ाएगा।

यह अध्ययन यह दर्शाता है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने और समुद्र स्तर वृद्धि के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

ERONET 2.0 प्लेटफॉर्म

समाचार में क्यों: हाल ही में Nature जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन, जिसका शीर्षक है "**Community estimate of global glacier mass changes from 2000 to 2023**", ने यह उजागर किया है कि **विश्वभर में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण इस सदी में समुद्र स्तर में 2 सेमी की वृद्धि हुई है।** यह अध्ययन एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और ज्यूरिख विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और इसमें ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के पानी के थर्मल विस्तार के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि की चिंताजनक गति पर जोर दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

1. अध्ययन के निष्कर्ष:

- **ग्लेशियर बर्फ हानि:**

ग्लेशियर हर साल **273 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं**, जो पृथ्वी की पूरी जनसंख्या द्वारा 30 वर्षों में खपत किए जाने वाले पानी के बराबर है।

- **वैश्विक योगदान:**

2000 से ग्लेशियरों ने **अपनी कुल बर्फ का 5% खो दिया है**, जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के संयुक्त बर्फ हानि से **18% अधिक** है।

- **समुद्र स्तर में वृद्धि:**

ग्लेशियरों के पिघलने के कारण 2000 के बाद से समुद्र स्तर में **2 सेमी की वृद्धि हुई है।**

2. समुद्र स्तर वृद्धि के कारण:

- **ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलना:**

- **वैश्विक तापवृद्धि** के कारण ग्लेशियर और बड़ी बर्फ की चादरें (50,000 वर्ग किमी से अधिक भूमि को कवर करने वाली) तेजी से पिघल रही हैं।

- क्षेत्रीय रूप से ग्लेशियरों ने **2% से 39% तक बर्फ खो दी है।**

- **थर्मल विस्तार:**

- वैश्विक तापमान बढ़ने से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और फैल रहा है, जो समुद्र स्तर वृद्धि के **एक-तिहाई से आधे** के लिए जिम्मेदार है।

3. आंकड़ों में:

- **1880 से:** NOAA के अनुसार, समुद्र स्तर में **21 सेमी की वृद्धि हुई है।**

- **हाल के वर्षों में तेजी:**

- **1993-2024:** वैश्विक समुद्र स्तर में **10 सेमी से अधिक की वृद्धि हुई।**

- **वार्षिक वृद्धि:** 1993

- में **0.18 सेमी/वर्ष** से बढ़कर अब **0.42 सेमी/वर्ष** हो गई है।

4. क्षेत्रीय विविधताएँ:

- **हिंद महासागर:** समुद्र स्तर वृद्धि **2.5 मिमी/वर्ष** है, जो वैश्विक औसत से तेज है (WMO, 2022)।
- **प्रभावित भारतीय शहर:**

मुंबई: 4.44 सेमी वृद्धि (1987–2021)।

हल्दिया: 2.726 सेमी।

विशाखापट्टनम: 2.381 सेमी।

कोच्चि: 2.213 सेमी।

5. समुद्र स्तर वृद्धि के परिणाम:

- **तटीय बाढ़:**

प्रत्येक **1 सेमी की वृद्धि** से **20 लाख लोग वार्षिक बाढ़** के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं (एंड्रयू शेफर्ड, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी)।

- **तटीय कटाव:**

उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल ने **1990-2016** के बीच लगभग **99 वर्ग किमी भूमि** खो दी।

- **तूफानी लहरें:**

उष्णकटिबंधीय तूफानों के दौरान अधिक पानी अंदर तक आता है, जिससे मैंग्रोव, कोरल रीफ और नमक के दलदली क्षेत्रों जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होते हैं।

- **विस्थापन:**

तटीय क्षेत्रों के पास रहने वाली जनसंख्या विस्थापन के लिए अधिक संवेदनशील है। **वैश्विक जनसंख्या का 29%** समुद्र तट से **50 किमी के भीतर** रहती है।

6. भविष्य की भविष्यवाणियाँ:

- **2050 तक:** वैश्विक समुद्र स्तर में **20 सेमी की और वृद्धि** होगी, जो पिछले 100 वर्षों में हुई वृद्धि से दोगुनी होगी (NASA)।
- **बाढ़ पर प्रभाव:** उच्च समुद्र स्तर बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता को और बढ़ाएगा।

यह अध्ययन यह दर्शाता है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने और समुद्र स्तर वृद्धि के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों? हाल ही में लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किया गया।

विधेयक का उद्देश्य:

- यह विधेयक लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य है:
- भारत की सीमाओं को मजबूत करना।
- भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकासी से संबंधित आव्रजन कानूनों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- पुराने और स्वतंत्रता-पूर्व कानूनों को प्रतिस्थापित करना।

निरस्त और प्रतिस्थापित किए गए कानून:

1. आव्रजन (वाहक उत्तरदायित्व) अधिनियम, 2000।
 2. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920।
 3. विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939।
 4. विदेशी अधिनियम, 1936।
- विधेयक की वस्तु और कारण का विवरण बताता है कि ये कानून:
 - प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे असाधारण समय में बनाए गए थे।
 - इनमें कई प्रावधानों का आपस में ओवरलैप था।
 - आधुनिक और व्यापक कानून की आवश्यकता थी।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

1. आव्रजन ब्यूरो की स्थापना:
 - एक केंद्रीकृत आव्रजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी (धारा 5)।
 - इसका नेतृत्व एक आयुक्त करेंगे और निम्नलिखित अधिकारी सहायता करेंगे:
 - विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी।
 - विदेशियों के पंजीकरण अधिकारी।
 - मुख्य आव्रजन अधिकारी और अन्य नामित अधिकारी।
 - कार्यों में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकासी को नियंत्रित करना शामिल है।
2. केंद्र सरकार के अधिकार:
 - सरकार विदेशियों के संबंध में निम्नलिखित आदेश और निर्देश जारी कर सकती है:
 - विशिष्ट मार्गों, बंदरगाहों या स्थानों से प्रवेश और निकासी।
 - भारत में या भारत के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में विदेशी की गतिविधियों को सीमित करना।
 - निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाना:

- बायोमेट्रिक जानकारी।
- पहचान का प्रमाण।
- चिकित्सा परीक्षण।
- कुछ गतिविधियों, व्यक्तियों से मेलजोल, या विशेष वस्तुओं के उपयोग पर रोक।
- किसी क्षेत्र में रहने वाले विदेशियों पर शर्तें लगाना।

3. उल्लंघनों के लिए दंड:

- वीज़ा की अवधि से अधिक रुकना या आदेशों का उल्लंघन करना:
 - 3 साल तक की कैद और/या ₹3 लाख का जुर्माना (धारा 23)।
- वैध यात्रा दस्तावेज़ के बिना प्रवेश करना:
 - 5 साल तक की कैद और/या ₹5 लाख का जुर्माना (धारा 21)।
- फर्जी दस्तावेज़ों का उपयोग करना:
 - 2-7 साल की कैद और/या ₹1-10 लाख का जुर्माना (धारा 22)।

4. संस्थानों और वाहकों का नियमन:

- विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल:
 - विदेशियों के बारे में जानकारी सरकार को प्रदान करनी होगी (धारा 9 और 10)।
- वाहक (ट्रांसपोर्ट कंपनियां):
 - यात्रियों और चालक दल के डेटा को अधिकारियों के साथ साझा करना आवश्यक होगा (धारा 17)।
 - प्रवेश से वंचित विदेशियों को हटाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी।
 - उल्लंघन पर ₹50,000 तक का जुर्माना।

आलोचना और विरोध:

1. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:

- आलोचकों का तर्क है कि विधेयक:
 - आव्रजन अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील तंत्र प्रदान नहीं करता।
 - न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
 - राजनीतिक या वैचारिक आधार पर व्यक्तियों को बाहर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

2. प्रतिभा के प्रवाह पर प्रभाव:

- टीएमसी सांसद सौगत रॉय:
 - यह विधेयक शिक्षा और चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभा के प्रवाह को सीमित कर सकता है।

3. वैचारिक पक्षपात पर चिंता:

- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी:
 - प्रावधानों का उपयोग सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप selectively किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 भारत की आव्रजन प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास है। यह विदेशियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाता है। हालांकि, आलोचक अपील तंत्र की कमी, संभावित दुरुपयोग, और प्रतिभा प्रवाह और नवाचार पर इसके नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

राजनयिक छूट और प्रोटोकॉल

चर्चा में क्यों? अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में राजदूत के.के. वागन को लॉस एंजेलिस में प्रवेश देने से इनकार कर दिया और "आव्रजन आपत्ति" का हवाला देते हुए उन्हें निर्वासित कर दिया।

निर्वासन का कारण:

निर्वासन कथित तौर पर आव्रजन आपत्ति के कारण हुआ, हालांकि इस मुद्दे के विशेष कारण स्पष्ट नहीं हैं। इससे राजनयिक प्रोटोकॉल और वीज़ा की वैधता पर सवाल खड़े हुए हैं।

राजनयिक छूट और प्रोटोकॉल:**1. राजनयिक छूट क्या है?**

राजनयिक छूट अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है, जिसे **वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशन्स (1961)** के तहत संहिताबद्ध किया गया है। यह राजनयिकों को मेज़बान देश के कानूनों के तहत गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन से छूट प्रदान करता है।

- **उद्देश्य:**

- राजनयिकों को मेज़बान देश के हस्तक्षेप या उत्पीड़न से बचाना।
- उन्हें बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्वतंत्रता देना।

- **दायरा:**

- राजदूतों और उच्च-स्तरीय दूतों के लिए पूर्ण छूट।
- वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के लिए सीमित छूट (केवल उनके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित मामलों में)।

2. राजनयिकों के लिए प्रोटोकॉल:

राजनयिकों के लिए यात्रा और मेज़बान देश में निवास के दौरान कुछ विशेष प्रोटोकॉल निर्धारित किए जाते हैं।

- **प्रवेश और निकास:** राजनयिकों को आम तौर पर सामान्य आव्रजन जांच से छूट दी जाती है, और उनके वीज़ा को विशेष दर्जा दिया जाता है।
- **सम्मान और गरिमा की रक्षा:** मेज़बान राष्ट्र को विदेशी राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।

- **समस्या होने पर प्रक्रिया:**

- यदि कोई राजनयिक स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करता है, तो मेज़बान देश उसे **व्यक्ति वांछनीय नहीं (persona non grata)** घोषित कर सकता है या उसे वापस बुलाने का अनुरोध कर सकता है।

3. घटना: क्या राजनयिक छूट और प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ?

- **के.के. वागन को प्रवेश से इनकार:**

- वैध अमेरिकी वीज़ा होने के बावजूद, राजदूत को प्रवेश देने से इनकार किया गया और निर्वासित कर दिया गया।
- यह सवाल उठाता है:
 - क्या उनकी राजनयिक छूट को ध्यान में रखा गया?
 - क्या सही प्रोटोकॉल (जैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सूचित करना) का पालन किया गया?

- **निजी बनाम आधिकारिक यात्रा:**

- घटना संभवतः इस बात पर निर्भर करती है कि वागन आधिकारिक दौरे पर नहीं, बल्कि निजी यात्रा पर थे।
- हालांकि, निजी यात्राओं के दौरान भी राजनयिकों को आम तौर पर कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं।

4. विदेशी राजनयिकों का व्यवहार:

इस घटना ने आव्रजन अधिकारियों द्वारा विदेशी राजनयिकों के साथ व्यवहार से संबंधित कुछ मुद्दे उजागर किए हैं।

- **यदि वीज़ा वैध था, तो निर्वासन क्यों हुआ?**
- क्या यह प्रशासनिक चूक थी या इसके पीछे भू-राजनीतिक कारण थे?
- इस तरह की घटनाएं राष्ट्रों के बीच विश्वास और सद्भावना को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर जब यह अनुचित व्यवहार या पक्षपात का आरोप हो।

5. राजनयिक प्रोटोकॉल का पालन:

यदि वागन से संबंधित कोई चिंता थी (जैसे पूर्व विवाद या "आव्रजन आपत्ति"), तो मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए था:

- पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से सीधे संवाद करना।
- उन्हें निर्णय को चुनौती देने का अवसर देना।
- बिना उचित संवाद के निर्वासन ने राजनयिक भावना को कमजोर किया।

6. घटना से उठे प्रमुख सवाल:

- **पारदर्शिता:**

- निर्वासन का कारण पाकिस्तान या सार्वजनिक रूप से साझा क्यों नहीं किया गया?

- **राजनयिक प्रभाव:**

- क्या इससे दोनों देशों के बीच प्रतिशोधात्मक कार्रवाई या तनाव हो सकता है?

- **मिसाल:**

- क्या यह एक ऐसा उदाहरण पेश करता है, जिससे अन्य राजनयिकों के साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है?

7. व्यापक प्रभाव:

- **भू-राजनीतिक संदर्भ:**
 - यदि यह राजनीतिक प्रेरित कार्य था (जैसे अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों से जुड़ा), तो यह गहरे तनाव को दर्शा सकता है।
- **द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव:**
 - ऐसी घटनाएं आमतौर पर राजनयिक विरोध का कारण बनती हैं और मेज़बान देश से स्पष्टीकरण की मांग करती हैं।
- **राजनयिक प्रणालियों में विश्वास:**
 - राजनयिकों के साथ अनुचित व्यवहार अंतरराष्ट्रीय मानदंडों में विश्वास और सम्मान को कमजोर कर सकता है।

8. निष्कर्ष:

पाकिस्तान के राजदूत के.के. वागन का निर्वासन राजनयिक प्रोटोकॉल और छूट का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है। जबकि राष्ट्रों को आव्रजन नियम लागू करने का अधिकार है, ऐसे कार्य पारदर्शी, न्यायसंगत और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होने चाहिए, ताकि राजनयिक संबंधों को नुकसान न पहुंचे।

बोडो शांति समझौता और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन

समाचार में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के वार्षिक सम्मेलन में 2020 में हुए तीसरे बोडो शांति समझौते की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) में शांति और विकास का आधार बताया।

मुख्य बिंदु:**• बोडो शांति समझौते की सफलता:**

- 2020 में हस्ताक्षरित तीसरे बोडो शांति समझौते ने संघर्ष और हिंसा से प्रभावित क्षेत्र को शांति और विकास में परिवर्तित किया।
- अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग इस समझौते का उपहास कर रहे थे, वे अब गलत साबित हुए हैं।

• BTR में शांति और विकास:

- इस समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के विकास के लिए ₹1,500 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई।
- 4,881 पूर्व उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए पिछले तीन वर्षों में ₹287 करोड़ खर्च किए गए।

• **ABSU की भूमिका:**

- गृह मंत्री ने बोडोलैंड क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने में ABSU की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा।

• **पुनर्वास पहल:**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10,000 से अधिक युवाओं को मुख्यधारा में लाया गया।
- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 400 पुनर्वासित बोडो युवाओं को एक कमांडो बटालियन में रोजगार दिया।

• **बोडो नेता का सम्मान:**

- केंद्र सरकार दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा (बोडो समुदाय के संरक्षक) के नाम पर एक सड़क का नामकरण करेगी।
- अप्रैल 2025 में दिल्ली में उनके एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।

• **संघर्ष से मुक्ति:**

- अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत अब आतंकवाद, बंद और नाकेबंदी से मुक्त हो गया है, जिससे क्षेत्र की स्थिरता और शासन में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।

बोडो शांति समझौते के बारे में:

बोडो शांति समझौता 27 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित हुआ, जो बोडो लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और संघर्षों को सुलझाने के लिए तीसरा समझौता था। इसने बोडोलैंड क्षेत्र में शांति और विकास लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

मुख्य विशेषताएँ:

• **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:**

- पहला बोडो समझौता 1993 में हुआ, जिससे बोडोलैंड स्वायत्त परिषद (BAC) का गठन हुआ।
- दूसरा समझौता 2003 में हुआ, जिसके तहत संविधान की छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) का गठन हुआ।
- तीसरा समझौता 2020 में हुआ, जिसका उद्देश्य शेष मुद्दों को हल करना और स्थायी शांति स्थापित करना था।

• **हस्ताक्षरकर्ता:**

- भारत सरकार, असम सरकार, और बोडो समूह (ABSU और NDFB के विभिन्न धड़े)।

• **प्रमुख प्रावधान:**

- **विकास हेतु धनराशि:** BTR के विकास के लिए ₹1,500 करोड़ का आवंटन।
- **पुनर्वास:** 1,500 से अधिक NDFB उग्रवादियों का मुख्यधारा में पुनर्वास।
- **प्रशासनिक सुधार:** BTC को और अधिक प्रशासनिक और विधायी शक्तियाँ प्रदान करना।
- **सांस्कृतिक संरक्षण:** बोडो भाषा और संस्कृति का संरक्षण और प्रचार।
- **क्षेत्रीय पुनर्संरक्षण:** BTR की सीमाओं को पुनः परिभाषित करना।

बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR):

बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) असम का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्थापित किया गया है। यह 2003 के दूसरे बोडो समझौते का हिस्सा था और 2020 के समझौते में पुनः परिभाषित किया गया।

मुख्य विशेषताएँ:**• भौगोलिक क्षेत्र:**

- असम के पश्चिमी भाग में लगभग 8,970 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल।
- पाँच जिलों में फैला: कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुरी और तामुलपुर।

• शासन:

- BTR का प्रशासन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) द्वारा किया जाता है, जिसे 40 विषयों पर विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।

• जनसंख्या संरचना:

- बोडो (जनजातीय समुदाय) और अन्य समुदायों, जैसे आदिवासी, बंगाली भाषी और असमिया लोगों का निवास।

• महत्व:

- यह भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्तता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- बोडो लोगों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अन्य समुदायों के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता:

- **जातीय तनाव:** बोडो और गैर-बोडो समुदायों के हितों के संतुलन को बनाए रखना।
- **विकास के लक्ष्य:** सभी समुदायों में समतामूलक विकास सुनिश्चित करना और बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याओं का समाधान।
- **राजनीतिक स्थिरता:** BTC के तहत शासन को मजबूत करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।

बोडो शांति समझौता और BTR असम में शांति, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

CBI विशेष न्यायालय / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA)

खबर में क्यों? 19 मार्च, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री **अमित शाह** ने राज्यसभा में कहा कि **पश्चिम बंगाल में एक भी CBI विशेष न्यायालय कार्यशील नहीं है।** यह बयान तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद **साकेत गोखले** के CBI के प्रदर्शन और **6,900 से अधिक लंबित मामलों** पर टिप्पणी के जवाब में आया। यह मुद्दा **20 मार्च, 2025** तक चर्चा में है, जो केंद्र-राज्य तनाव, न्यायिक देरी और CBI की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।

CBI विशेष न्यायालयों के बारे में:

CBI विशेष न्यायालय भारत में विशेष न्यायिक निकाय हैं, जो **केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)** द्वारा जांचे गए मामलों, जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए हैं। ये **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988**

(PCA) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जो त्वरित और विशेष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं।

कानूनी आधार:

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA):**

PCA की धारा 3 केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अपराधों (जैसे रिश्वत-धारा 7, लोक सेवकों का आपराधिक कदाचार-धारा 13) की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देती है। ये संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अधिसूचित होते हैं।

- **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946:**

DSPE अधिनियम की धारा 5 CBI को केंद्र सरकार की सहमति से पूरे भारत में जांच करने की अनुमति देती है, जबकि **धारा 6** राज्य सरकार की सहमति मांगती है। CBI विशेष न्यायालय इन मामलों की सुनवाई करते हैं, अक्सर उच्च न्यायालयों द्वारा **धारा 4(2)** के तहत स्थानांतरित किए गए।

CBI विशेष न्यायालयों की शक्तियाँ:

- **विशेष क्षेत्राधिकार:**

CBI द्वारा जांचे गए मामलों की सुनवाई का विशेष अधिकार, जैसे PCA अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी (जैसे बैंक घोटाले), और सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट द्वारा सौंपे गए मामले, नियमित अदालतों को दरकिनार कर दक्षता बढ़ाते हैं।

- **सुनवाई शक्तियाँ:**

विशेष न्यायाधीश सत्र न्यायालय के समकक्ष शक्तियाँ रखते हैं (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत, जो 1 जुलाई, 2024 से CrPC की जगह ले चुका है)। वे गवाह बुला सकते हैं (BNSS धारा 253), वारंट जारी कर सकते हैं (BNSS धारा 72), और आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा दे सकते हैं, जो अपील के अधीन है।

- **त्वरित निपटारा आदेश:**

2018 PCA संशोधन (धारा 4(4)) के बाद 2 साल में सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य, हालांकि मार्च 2025 तक **6,900+** मामले लंबित हैं, जैसा कि अमित शाह ने बताया।

- **स्वीकृति निरीक्षण:**

PCA धारा 19 के तहत लोक सेवकों के अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की जाँच, सुनवाई से पहले कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना।

- **साक्ष्य और प्रक्रिया:**

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार करने की शक्ति (BNSS धारा 176) और फरार आरोपियों के लिए अनुपस्थिति में सुनवाई (BNSS धारा 356), CrPC से आगे बढ़कर प्रक्रियात्मक लचीलापन।

- **अवमानना और प्रवर्तन:**

1971 के अवमानना अधिनियम के तहत हाई कोर्ट जैसी अवमानना शक्तियाँ, आदेशों का पालन सुनिश्चित करना, और CBI जब्ती/गिरफ्तारी को लागू करना (BNSS धारा 49-50)।

परिचालन ढांचा:

- **स्थापना और नियुक्ति:**

केंद्र सरकार विशेष न्यायालय अधिसूचित करती है, विशेष न्यायाधीशों (आमतौर पर जिला न्यायाधीश रैंक) की नियुक्ति PCA धारा 3 के तहत हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद होती है।

- **मामला आवंटन:**

CBI चार्जशीट (BNSS धारा 193) या सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के निर्देशों (जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले, शाह का उल्लेख, 19 मार्च 2025) के माध्यम से मामले पहुँचते हैं।

- **क्षेत्रीय उपस्थिति:**

राज्यों में संचालित, जैसे तेलंगाना में **9 न्यायालय** एक मुख्य विशेष न्यायाधीश के अधीन, लेकिन **पश्चिम बंगाल में कोई कार्यशील नहीं** (मार्च 2025), जो 2018 में सहमति वापसी और आधारभूत संरचना की कमी को दर्शाता है।

- **अपील:**

निर्णय हाई कोर्ट में **90 दिनों के भीतर अपील योग्य** (BNSS धारा 418), सुनवाई स्वायत्तता के साथ निगरानी सुनिश्चित करते हैं।

महत्व और चुनौतियाँ:

- **भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका:**

PCA लागू करने में महत्वपूर्ण, जैसे जनवरी 2025 में RG कर मामले में आजीवन कारावास (सीलदह CBI कोर्ट), जवाबदेही को मजबूत करना।

- **संघीय तनाव:**

DSPE अधिनियम धारा 6 के तहत राज्य सहमति CBI की पहुँच सीमित करती है, जहाँ पश्चिम बंगाल जैसे राज्य विरोध करते हैं, जिससे **6,900+ मामले रुके हैं**, जैसा शाह ने आलोचना की।

- **संसाधन की कमी:**

रिक्तियाँ और न्यायालयों की कमी (जैसे पश्चिम बंगाल) उनके मजबूत अधिकारों के बावजूद मिशन को बाधित करती हैं, जो व्यवस्थागत न्यायिक समस्याओं को दर्शाती है।

तमिलनाडु का मैंग्रोव क्षेत्र दोगुना होने की उम्मीद

क्यों खबरों में? तमिलनाडु के मैंग्रोव कवर में पिछले तीन वर्षों में लगभग दोगुना इजाफा हुआ है। **2021 में 4,500 हेक्टेयर (ha)** से बढ़कर **2024 में 9,039 हेक्टेयर (ha)** हो गया है, जैसा कि **अन्ना विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट** की एक रिपोर्ट में बताया गया है।

मुख्य निष्कर्ष:

1. जिलों के अनुसार सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र:

- **तिरुवरूर:**
 - कुल क्षेत्रफल: **2,142 हेक्टेयर** (1,470 हेक्टेयर मौजूदा + 672 हेक्टेयर नए रोपण)।
- **तंजावुर:**
 - कुल क्षेत्रफल: **2,063 हेक्टेयर** (1,209 हेक्टेयर प्राकृतिक + 854 हेक्टेयर रोपण)।
- **कडलूर और नागपट्टिनम:**
 - **कडलूर:** 1,117 हेक्टेयर
 - **नागपट्टिनम:** 1,021 हेक्टेयर

2. कार्बन भंडारण क्षमता:

- **जिले जिनमें उच्च कार्बन स्टॉक है:**
 - **कडलूर:** 249 टन/हेक्टेयर
 - **तिरुवरूर:** 145 टन/हेक्टेयर
 - **तंजावुर:** 77.5 टन/हेक्टेयर
- **कम कार्बन स्टॉक वाले जिले:**
 - **विल्लुपुरम:** 2.59 टन/हेक्टेयर
 - **तिरुवल्लूर:** 13.1 टन/हेक्टेयर

मैंग्रोव वनों का महत्व:

- **पर्यावरणीय स्थिरता:**
 - तटीय सुरक्षा
 - पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण
 - समुद्री जीवन के प्रजनन क्षेत्र
- **जलवायु परिवर्तन में योगदान:**
 - वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित कर इसे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करना।

चुनौतियां:

- **आक्रामक प्रजातियां:**
 - **प्रोसोपिस** **जुलिफ्लोरा** जैसी आक्रामक प्रजातियों की मौजूदगी **तूतीकोरिन, रामनाथपुरम, तंजावुर, तिरुवरूर और तिरुवल्लूर** के मैंग्रोव वनों में पाई गई।

सिफारिशें:

- **सतत आजीविका:**
 - इको-टूरिज्म
 - कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम

- जिला-विशिष्ट संरक्षण रणनीतियां:

- मैग्रोव के संरक्षण और विस्तार के लिए विशेष योजनाएं।

आंकड़े (2021-2024):

- कुल क्षेत्रफल: 2021 में 4,500 हेक्टेयर से बढ़कर 2024 में 9,039 हेक्टेयर।
 - नए रोपण: 40.1% (3,625 हेक्टेयर)
 - मौजूदा मैग्रोव: 59.9% (5,414 हेक्टेयर)

निष्कर्ष:

मैग्रोव तमिलनाडु के पारिस्थितिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने और बनाए रखने के प्रयासों को जारी रखने पर जोर दिया गया है

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (PMIS) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को शीर्ष कंपनियों में गुणवत्तापूर्ण इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और कौशल विकास में वृद्धि हो सके।

क्यों चर्चा में?

वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (PMIS) में अधिक कंपनियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।

- वर्तमान में यह योजना अपने दूसरे चरण में है और अभी भी पायलट चरण में है।
- पहले चरण में लगभग 280 कंपनियों की भागीदारी थी, जो दूसरे चरण में बढ़कर 327 कंपनियां हो गई है।
- इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी।
- योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (PMIS) की प्रमुख विशेषताएं:

1. उद्देश्य:

- अगले पांच वर्षों में भारत की 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप प्रदान करना।
- छात्रों और युवाओं के व्यावसायिक ज्ञान और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना।

2. लक्षित कंपनियां:

- भारत की 500 शीर्ष कंपनियों को लक्षित किया गया है ताकि प्रतिष्ठित संगठनों में गुणवत्तापूर्ण इंटरनशिप सुनिश्चित की जा सके।

3. योजना का दायरा:

- छात्रों को वास्तविक उद्योग अनुभव प्रदान करके शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटना।
- कौशल विकास को राष्ट्रीय हित में बढ़ावा देने के लिए अधिक कंपनियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

4. युवाओं के लिए लाभ:

- व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्य अनुभव प्रदान करना।
- नौकरी के लिए तैयारी में सुधार और कॉर्पोरेट क्षेत्र में नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना।
- भविष्य में रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोलना।

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारतीय युवाओं को व्यावसायिक करियर के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव से लैस किया जा सके, साथ ही सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच मजबूत सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा सके।

ई-नाम 2.0

क्यों चर्चा में? केंद्र सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म को **ई-नाम 2.0** में उन्नत करने की घोषणा की है, ताकि अंतर-राज्य और अंतर-मंडी व्यापार में लॉजिस्टिक से जुड़ी बाधाओं को दूर किया जा सके।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा के मुख्य बिंदु:

1. ई-नाम 2.0 की मुख्य विशेषताएं:

- **बैंक खाता सत्यापन:** भुगतान में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए।
- **आधार के माध्यम से ई-केवाईसी:** किसानों के सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए।
- **सेवा प्रदाताओं का समावेशन:** गुणवत्तापरीक्षण, लॉजिस्टिक और अन्य मूल्य-वर्धित सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए।

1. उद्देश्य:

- लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान, तेजी से व्यापार सुनिश्चित करना, नुकसान को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना।

2. पृष्ठभूमि:

- ई-नाम को **2016** में एक **इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल** के रूप में लॉन्च किया गया था, जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करके कृषि उत्पादों के लिए **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार** बनाता है।

यह कदम किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ व्यापार दक्षता को बढ़ाने और बाजारों तक सहज पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

ई-नाम योजना के उद्देश्य:

1. **मंडियों का एकीकरण:** पूरे भारत की मंडियों को एकल ऑनलाइन मार्केटप्लेस में जोड़ना।
2. **पारदर्शिता:** कृषि उत्पादों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य खोज को बढ़ावा देना।
3. **बाजार तक पहुंच:** किसानों को अंतर-राज्य और अंतर-मंडी बाजारों तक पहुंच प्रदान करना।
4. **कटाई के बाद नुकसान में कमी:** लॉजिस्टिक अक्षमताओं और बर्बादी को कम करना।

5. **किसानों को सशक्त बनाना:** किसानों की सौदेबाजी की शक्ति और आय को बढ़ाना।

ई-नाम की मुख्य विशेषताएं:

1. **ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म:**

- वास्तविक समय में मूल्य खोज तंत्र प्रदान करता है।
- किसानों को अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाता है।

2. **एकीकृत लाइसेंसिंग:**

- व्यापारी एकल लाइसेंस के साथ किसी भी राज्य की मंडी में व्यापार कर सकते हैं।

3. **सिंगल पॉइंट लेवी:**

- बाजार शुल्क केवल एक बार लगाया जाता है, जिससे किसानों की लागत कम होती है।

4. **गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं:**

- उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता जांच।

5. **डिजिटल भुगतान:**

- किसानों के बैंक खातों में सीधे सुरक्षित और तेज़ भुगतान सुनिश्चित करता है।

6. **लॉजिस्टिक्स का एकीकरण:**

- राज्यों और मंडियों के बीच उत्पादों के परिवहन को आसान बनाता है।

7. **आधार-आधारित किसान पंजीकरण:**

- प्लेटफॉर्म पर किसान पंजीकरण को सरल और सत्यापित करता है।

ई-नाम के लाभ:

1. **किसानों के लिए:**

- व्यापक बाजार तक पहुंच।
- पारदर्शी और बेहतर मूल्य प्राप्ति।
- बिचौलियों पर निर्भरता में कमी।

2. **व्यापारियों के लिए:**

- खरीदारों और विक्रेताओं के बड़े पूल तक पहुंच।
- सरलीकृत लाइसेंसिंग और कम लागत।

3. **उपभोक्ताओं के लिए:**

- कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कारण कम कीमतें।

4. **राज्य सरकारों के लिए:**

- मंडियों के बेहतर विनियमन और निगरानी।

वर्तमान स्थिति:

- 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,000 से अधिक मंडियां ई-नाम से जुड़ी हुई हैं।
- 200+ कृषि उत्पादों को कवर करती है, जिनमें अनाज, फल, सब्जियां और मसाले शामिल हैं।

97वां अकादमी पुरस्कार

मुख्य बिंदु:

“अनोरा” ने छोटे बजट के बावजूद बड़ा पुरस्कार जीता:

- स्वतंत्र फिल्म **“अनोरा”**, जिसका बजट मात्र \$6 मिलियन था, ने **सर्वश्रेष्ठ फिल्म** सहित पांच ऑस्कर जीते।
- इसने बड़े बजट की फिल्मों जैसे **“विकेड”** और **“ड्यून: पार्ट टू”** को पीछे छोड़ा।
- यह अकादमी द्वारा हाल के वर्षों में स्वतंत्र फिल्मों को सम्मान देने की प्रवृत्ति के अनुरूप है, जैसे **“नोमैडलैंड”** और **“CODA”**।

सीन बेकर ने वॉल्ट डिज़्नी का रिकॉर्ड तोड़ा

- निर्देशक **सीन बेकर** ने चार ऑस्कर जीते:
 1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म
 2. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
 3. सर्वश्रेष्ठ संपादन
 4. सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा
- उन्होंने एक ही वर्ष में सबसे अधिक ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड वॉल्ट डिज़्नी (1954) के साथ साझा किया।

थिएटर और स्वतंत्र सिनेमा के लिए समर्थन

- अपने भाषण में सीन बेकर ने सिनेमाघरों के महत्व पर जोर दिया और फिल्म निर्माताओं से बड़े पर्दे के लिए फिल्में बनाना जारी रखने का आग्रह किया।
- उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, **“स्वतंत्र सिनेमा अमर रहे!”**

माइकी मैडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार:

- **माइकी मैडिसन** ने **“अनोरा”** में अपने प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीता, उन्होंने दावेदार **डेमी मूर** को हराया।

एड्रियन ब्रॉडी का भावनात्मक दूसरा ऑस्कर:

- एड्रियन ब्रॉडी ने **“द ब्रूटलिस्ट”** में होलोकॉस्ट सर्वाइवर के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता।
- उनके भाषण ने अधिक समावेशी और दयालु दुनिया का आह्वान किया।

सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर में चौकाने वाली जीत:

- लातवियाई फिल्म **“फ्लो”**, जो एक संवाद रहित पर्यावरणीय दृष्टांत है, ने **“द वाइल्ड रोबोट”** को हराया।
- निर्देशक **गिंट्स जिलबालोडिस** ने मजाक में अपने पालतू जानवरों को धन्यवाद दिया।

ऐतिहासिक जीत:

- **ज़ो सलदाना** पहली डोमिनिकन मूल की अमेरिकी बनीं, जिन्होंने **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री** का ऑस्कर जीता (**“एमिलिया पेरेज़”** में)।
- **पॉल टैज़वेल** पहले अश्वेत व्यक्ति बने जिन्होंने **“विकेड”** के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिज़ाइन का पुरस्कार जीता।

अन्य प्रमुख विजेता:

- **"द ब्रूटलिस्ट":** सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर।
- **"ड्यून: पार्ट टू":** सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि।
- **"विकेड":** सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिज़ाइन और पोशाक डिज़ाइन।

ग्लेशियर हिमस्खलन

चर्चा में क्यों ? उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ग्लेशियर हिमस्खलन ने बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) परियोजना स्थल पर हमला किया, जिसमें 22 श्रमिक बर्फ के नीचे फंस गए।

ग्लेशियर हिमस्खलन क्या है?

ग्लेशियर हिमस्खलन तब होता है जब बर्फ, हिम और मलबे का बड़ा हिस्सा ग्लेशियर से टूटकर तेज गति से ढलान पर नीचे गिरता है। ये हिमस्खलन अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और प्राकृतिक या मानव-जनित कारणों से हो सकते हैं। ये विशेष रूप से अस्थिर ग्लेशियरों वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य हैं।

ग्लेशियर हिमस्खलन के कारण:

1. **जलवायु परिवर्तन:** वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों का पिघलना और अस्थिरता बढ़ती है।
2. **भारी वर्षा या बर्फबारी:** ग्लेशियर की सतह पर वजन बढ़ने से इसका टूटना हो सकता है।
3. **भूकंपीय गतिविधि:** भूकंप ग्लेशियर के हिस्सों को तोड़ सकता है।
4. **पथरीली ढलानों का गिरना:** गिरती चट्टानें बर्फ को तोड़ सकती हैं और हिमस्खलन शुरू कर सकती हैं।
5. **मानवीय गतिविधियां:** ग्लेशियर क्षेत्रों के पास बुनियादी ढांचे का विकास या वनों की कटाई अस्थिरता में योगदान कर सकती है।

हाल के ग्लेशियर हिमस्खलन के उदाहरण:**1. चमोली, उत्तराखंड (भारत), फरवरी 2021:**

- **घटना:** नंदा देवी क्षेत्र में ग्लेशियर के फटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ और हिमस्खलन हुआ।
- **प्रभाव:** 200 से अधिक लोग मारे गए या लापता हुए। इसने क्षेत्र के जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया।

2. चमोली, उत्तराखंड (भारत), फरवरी 2025:

- **घटना:** एक ग्लेशियर हिमस्खलन ने चमोली जिले में बीआरओ परियोजना स्थल को प्रभावित किया, जिसमें 22 श्रमिक बर्फ के नीचे फंस गए।
- **प्रभाव:** बचाव कार्य जारी हैं, जो इस क्षेत्र में बार-बार होने वाले खतरों को उजागर करते हैं।

3. कोल्का ग्लेशियर आपदा, रूस (2002):

- **घटना:** काकेशस पर्वत में एक बड़े ग्लेशियर के टूटने से तेज गति से हिमस्खलन हुआ।

- **प्रभाव:** लगभग 140 लोग मारे गए और कई गांव नष्ट हो गए।

4. मनास्लु हिमस्खलन, नेपाल (2012):

- **घटना:** एक ग्लेशियर के टूटने से माउंट मनास्लु पर एक बेस कैम्प पर हिमस्खलन हुआ।
- **प्रभाव:** 11 पर्वतारोही मारे गए।

5. मार्मोलाडा ग्लेशियर का पतन, इटली (2022):

- **घटना:** डोलोमाइट पर्वत में हीटवेव के दौरान एक ग्लेशियर हिमस्खलन हुआ।
- **प्रभाव:** 11 लोग मारे गए, जिससे जलवायु परिवर्तन की भूमिका उजागर हुई।

ग्लेशियर हिमस्खलन क्यों बढ़ रहे हैं?

1. **वैश्विक तापमान में वृद्धि:** उच्च तापमान ग्लेशियरों के पीछे हटने और उनकी अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं।
2. **मानवीय गतिविधियों में वृद्धि:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं आपदाओं में योगदान कर सकती हैं।
3. **प्राकृतिक विविधता:** मौसम के पैटर्न में चक्रीय बदलाव इन घटनाओं को तीव्र कर सकते हैं।

चंद्रयान-5 मिशन

चर्चा में क्यों? ISRO अध्यक्ष **वी. नारायणन** ने एक कार्यक्रम के दौरान इस मिशन की घोषणा की। यह मिशन भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो चंद्रयान-3 की सफलता पर आधारित है। जापान के साथ सहयोग से इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय आयाम मिलता है।

मुख्य बिंदु:

1. चंद्रयान-5:

- **रोवर का भार:** 250 किलोग्राम (चंद्रयान-3 के 25 किलोग्राम के 'प्रज्ञान' रोवर से काफी बड़ा)।
- **उद्देश्य:** चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन।

2. पिछली चंद्रयान मिशन की जानकारी

चंद्रयान-1 (2008):

- **फोकस:** चंद्रमा की रासायनिक, खनिज और भू-भौतिकीय संरचना का मानचित्रण।
- **उपलब्धियां:** चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं की खोज।

चंद्रयान-2 (2019):

- **फोकस:** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास।
- **उपलब्धियां:** 98% सफलता; इसका ऑर्बिटर अब भी उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें भेज रहा है।

चंद्रयान-3 (2023):

- **फोकस:** सुरक्षित लैंडिंग और रोवर संचालन की क्षमता का प्रदर्शन।

- **उपलब्धियां:** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग (23 अगस्त, 2023); ISRO के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि।

3. चंद्रयान-4 मिशन:

- **अपेक्षित लॉन्च:** 2027।
- **उद्देश्य:** चंद्रमा से नमूने वापस लाना।

4. चंद्रयान-5 का महत्व:

- बड़ा रोवर (250 किलोग्राम) चंद्रमा की गहरी खोज के लिए।
- जापान के साथ सहयोग, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को रेखांकित करता है।
- चंद्र तकनीक और अन्वेषण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता।

5. व्यापक प्रभाव:

- भारत को वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना।
- गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान में ISRO के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समर्थन।
- अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता □

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART)

एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) एचआईवी संक्रमण के प्रबंधन के लिए एक चिकित्सा उपचार है। यह एंटीरेट्रोवायरल दवाओं का उपयोग करके शरीर में वायरस की प्रतिकृति को दबाने, एचआईवी से प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और बीमारी की प्रगति के जोखिम को कम करने पर केंद्रित है।

एआरटी के प्रमुख उद्देश्य:

1. **एचआईवी प्रतिकृति को दबाना:** एआरटी रक्त में एचआईवी की मात्रा (वायरल लोड) को असंवेदनशील स्तर तक कम कर देता है।
2. **प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना:** यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बहाल और बनाए रखता है, जिससे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है।
3. **एड्स की प्रगति को रोकना:** एआरटी एचआईवी को एड्स (एड्स का सबसे गंभीर चरण) में बदलने से रोकता है।
4. **संक्रमण को कम करना:** प्रभावी एआरटी पर रहने वाले लोग एचआईवी को दूसरों में प्रसारित नहीं कर सकते (असंवेदनशील = अप्रेषणीय, या U=U)।

एआरटी कैसे काम करता है?

एआरटी एंटीरेट्रोवायरल दवाओं के संयोजन का उपयोग करता है जो एचआईवी जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को लक्षित करता है। ये दवाएं:

- एचआईवी के दोहराव के लिए आवश्यक एंजाइमों (रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, प्रोटीएस, और इंटीग्रेज) को ब्लॉक करती हैं।
- वायरस को नई कोशिकाओं में प्रवेश करने या संक्रमित करने से रोकती हैं।

एंटीरेट्रोवायरल दवाओं के प्रकार:

न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इन्हिबिटर (NRTIs): रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस को ब्लॉक करते हैं।

उदाहरण: ज़ीडोवूडीन, लैमिवूडीन।

नॉन-न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इन्हिबिटर (NNRTIs): रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस को सीधे रोकते हैं।

उदाहरण: एफाविरेन्ज़, नेविरापीन।

प्रोटीएस इन्हिबिटर (PIs): वायरस के परिपक्व होने से रोकते हैं।

उदाहरण: लोपिनावीर, रिटोनावीर।

इंटीग्रेज स्टैंड ट्रांसफर इन्हिबिटर (INSTIs): इंटीग्रेज एंजाइम को रोकते हैं।

उदाहरण: राल्टेग्रावीर, डोलुटेग्रावीर।

एंटी इन्हिबिटर: वायरस को नई कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकते हैं।

उदाहरण: एन्फुविर्टाईड, मराजविरोक।

फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs): उपयोग में आसानी के लिए कई दवाओं को एक गोली में संयोजित करते हैं।

सरस आजीविका मेला 2025

सरस आजीविका मेला 2025 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में कारीगरों, शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की आजीविका को बढ़ावा देना है।

- यह कार्यक्रम 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा हाट, सेक्टर 33 ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।
- यह मेले का 5वां संस्करण है, जो ग्रामीण उत्पादों की निर्यात क्षमता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की समृद्ध परंपरा, कला और संस्कृति का जश्न मनाता है।

सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान

चर्चा में क्यों? सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (WERs) की नेतृत्व क्षमताओं और निर्णय लेने की दक्षता को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु:

महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण:

- नेतृत्व विकास, निर्णय लेने और जमीनी स्तर पर शासन पर ध्यान।
- पंचायती प्रतिनिधियों के लिए कानून आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल और लैंगिक हिंसा को रोकने वाले कानूनों का प्राइमर लॉन्च।

राष्ट्रीय कार्यशाला (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले):

- PRIs के तीनों स्तरों की महिला नेताओं के लिए पहली राष्ट्रीय मंच।
- 1,200+ महिला पंचायत नेताओं की भागीदारी।

पैनल चर्चा:

- विषय: “PRIs में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व” तथा “महिला नेतृत्वित स्थानीय शासन: क्षेत्रीय हस्तक्षेप”।
- वरिष्ठ अधिकारी जैसे श्रीमती देबाश्री मुखर्जी और श्रीमती अलका उपाध्याय चर्चाओं का नेतृत्व करेंगी।

उत्कृष्ट महिला नेताओं का सम्मान:

- ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।

सांस्कृतिक प्रदर्शन:

- UNFPA द्वारा आयोजित, महिलाओं की उपलब्धियों और साहस को मनाने वाले कार्यक्रम।

प्रधानमंत्री की दृष्टि के साथ तालमेल:

- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'नारी शक्ति' (महिला सशक्तिकरण) पर **मन की बात** में दिए गए विचारों को प्रतिबिंबित करता है।
- सुरक्षित, समावेशी, और लैंगिक-संवेदनशील ग्राम पंचायतों के निर्माण पर जोर।

रैडिकल डेमोक्रेसी**1. उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ**

- 19वीं सदी के उदारवादी लोकतंत्र के पूंजीवाद के तहत शोषण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उभरा।
- 20वीं सदी में सामूहिकतावादी सिद्धांतों और तानाशाही की विफलताओं के प्रति प्रतिक्रिया।

2. दार्शनिक आधार: नया मानववाद

- मानव प्रकृति और वैज्ञानिक समझ से उत्पन्न एक तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का पक्षधर।
- मानव गरिमा, संप्रभुता, और रचनात्मकता को व्यक्तिगत तर्कशक्ति के आधार पर महत्व देता है।

3. लोकतांत्रिक सुधार

- लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी शामिल होनी चाहिए।
- मतदाताओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय चर्चाओं की आवश्यकता।
- स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुने जाने का प्रस्ताव, जो सीधे मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हों।
- उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए **राइट ऑफ रिकॉल** और **जनमत संग्रह** का समर्थन।

4. आर्थिक दृष्टिकोण

- पूंजीवादी और राज्य-प्रेरित संपत्ति केंद्रीकरण दोनों की आलोचना।
- कृषि आधुनिकीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संगठन, और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान।
- आर्थिक योजना में लाभ के मुकाबले **मानव आवश्यकताओं** को प्राथमिकता देना।

5. सामाजिक-आर्थिक प्रावधान

- बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, और स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा के विकास का प्रस्ताव।
- ग्रामीण रोजगार और आय सृजन के लिए सहकारी संरचनाओं का समर्थन।

6. आज के समय में प्रासंगिकता

- समकालीन मुद्दों, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय को संबोधित करता है।
- वैश्विक विघटन के खतरे का मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी दर्शन का महत्व।

- रचनात्मक, तर्कसंगत व्यक्तियों को न्याय और स्वतंत्रता की ओर समाज को पुनः आकार देने के लिए प्रेरित करता है।

COP30 : अतिरिक्त बहुपक्षीय तंत्र

चर्चा में क्यों ? आगामी **COP30 जलवायु सम्मेलन** की मेजबानी कर रहे ब्राज़ील ने “अतिरिक्त बहुपक्षीय तंत्र” स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है ताकि वैश्विक जलवायु शासन को सुदृढ़ किया जा सके और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके।

मुख्य बिंदु:

अतिरिक्त तंत्र का प्रस्ताव:

- ब्राज़ील ने **पेरिस समझौते** के ढांचे के पूरक के रूप में ऐसे तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है जो जलवायु कार्रवाई की प्रतिबद्धताओं की निगरानी और उन्हें सुनिश्चित कर सके।
- मौजूदा प्रणाली में कमियों को दूर करने पर जोर, जैसे कि **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)** की समीक्षा केवल हर पांच साल में होती है।

वैश्विक जलवायु शासन पर ब्राज़ील का रुख:

- पर्यावरण और जलवायु मंत्री **मरीना सिल्वा** ने UN ढांचे के तहत वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
- ब्राज़ील के राष्ट्रपति **लूला दा सिल्वा** ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया है।
- यह प्रस्ताव **COP30 के एक्शन एजेंडा** में शामिल होगा, लेकिन औपचारिक वार्ताओं का हिस्सा नहीं होगा।

बहुपक्षीय सहयोग का महत्व:

- **पेरिस समझौते** से अमेरिका के बाहर होने को चुनौती माना, लेकिन सभी UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन) पक्षों के बहुपक्षीय प्रयासों की अहमियत को दोहराया।
- ब्राज़ील, भारत, चीन, EU और UK जैसे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया।

COP30 एजेंडा:

- COP30 में इस प्रस्ताव पर चर्चा **एक्शन एजेंडा** के तहत होगी, जो जलवायु उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वैच्छिक मंच है।
- COP30 की **औपचारिक वार्ताओं** में वे निर्णय होंगे जो अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा बनते हैं।

अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क

समाचार में क्यों? उपराज्यपाल **वी.के. सक्सेना** ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में **अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क** का उद्घाटन किया। यह पहल दिल्ली के बाढ़ क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और शहर के हरित आवरण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:

स्थान और क्षेत्रफल:

- यह पार्क यमुना के **पूर्वी किनारे** पर **NH-24** के पास स्थित है और **90 हेक्टेयर** में फैला हुआ है।

उद्देश्य:

- डीडीए** द्वारा यमुना बाढ़ क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किए गए **बाढ़ क्षेत्र पुनर्स्थापन प्रयासों** का हिस्सा।

पारिस्थितिक विशेषताएं:

- 6 जलाशयों** का विकास किया गया है, जिनकी कुल क्षमता **225 मिलियन लीटर** है।
- भूदृश्य को **वर्षा जल प्रबंधन, बाढ़ के जोखिम को कम करने**, और प्राकृतिक निस्पंदन के माध्यम से **भूजल पुनर्भरण** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- जूट-प्रबलित ढलान** और **नदीय घास समुदायों** का उपयोग बाढ़-प्रवण भूमि को स्थिर करने के लिए किया गया।

महत्व:

- दिल्ली के **हरित आवरण** को बढ़ावा देता है।
- सरकार के **“हरित दिल्ली”** मिशन के अनुरूप।
- पर्यावरणीय चुनौतियों**, जैसे बाढ़ प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन को संबोधित करता है।

वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024

क्यों चर्चा में है?

स्विस वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी **IQAir** द्वारा जारी **वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024** के अनुसार, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जबकि भारत 2024 में दुनिया का पांचवां सबसे प्रदूषित देश है। 2023 में यह तीसरे स्थान पर था।

मुख्य बिंदु:

नई दिल्ली:

- 2024 में औसत **PM2.5 सांद्रता** **91.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** के साथ नई दिल्ली को **दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी** का दर्जा दिया गया है।

- यह स्थान 2022 को छोड़कर लगातार बना हुआ है।

मेघालय का बर्नीहाट:

- बर्नीहाट को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना गया है।

सबसे प्रदूषित राजधानियां:

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे प्रदूषित राजधानियां हैं:

1. नई दिल्ली ($91.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
2. एन'डजामेना (चाड – $89.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
3. ढाका (बांग्लादेश – $78.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
4. किनशासा (कांगो – $58.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

सबसे प्रदूषित देश:

दुनिया के सबसे प्रदूषित देश हैं:

1. बांग्लादेश ($77.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
2. पाकिस्तान ($70.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
3. भारत ($53.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
4. कांगो ($52.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

भारत का वायु प्रदूषण:

- भारत में वायु प्रदूषण का कारण औद्योगिक उत्सर्जन, बिजली उत्पादन, वाहन उत्सर्जन, निर्माण, बायोमास जलाना, कृषि, और कचरे का प्रबंधन है।
- 2024 में भारत का वार्षिक औसत **PM2.5 स्तर $53.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$** था, जो WHO के सुरक्षित स्तर **$5 \mu\text{g}/\text{m}^3$** से काफी अधिक है।

वैश्विक तुलना:

- **PM2.5 प्रदूषण** स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता है क्योंकि इसमें बारीक कण होते हैं जो फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे **सांस और हृदय संबंधी बीमारियां** हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

यह रिपोर्ट **नई दिल्ली** और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में **कड़े वायु गुणवत्ता नियमों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों** की आवश्यकता पर जोर देती है ताकि उच्च PM2.5 स्तर से होने वाले स्वास्थ्य खतरों का समाधान किया जा सके।

भारतीय दीर्घ-चोंच गिद्ध

समाचार में क्यों?

हाल ही में, एक भारतीय दीर्घ-चोंच गिद्ध और उसके चूजे को कर्नाटक के रामदेवराबेट्टा में देखा गया, जो भारत का एकमात्र गिद्ध अभयारण्य है।

भारतीय दीर्घ-चोंच गिद्ध (*Gyps indicus*) के बारे में:

- भारतीय दीर्घ-चोंच गिद्ध, जिसे भारतीय गिद्ध भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजाति है।
- यह मध्यम आकार का गिद्ध है, जिसका हल्का पीला-भूरा शरीर, पतली गर्दन और विशिष्ट लंबी चोंच होती है। ये गिद्ध मुख्य रूप से मृत जानवरों का मांस खाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में मृत जानवरों को हटाने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय दीर्घ-चोंच गिद्ध की मुख्य विशेषताएं:

- **आवास:** चट्टानी पहाड़ियां, झाड़ीदार वन, और मानव बस्तियों के पास के खुले क्षेत्र।
- **आहार:** मृत जानवरों का मांस।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित, मुख्य रूप से आवास हानि, डाइक्लोफेनाक (पशु चिकित्सा दवा) के कारण विषाक्तता, और खाद्य आधार में गिरावट के कारण।

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम

क्यों खबरों में?

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य "नागरिक-प्रथम" दृष्टिकोण को प्रेरित करना और प्रभावी शासन व सेवा प्रदान करने की क्षमता को मजबूत करना है।

मुख्य बिंदु

कार्यक्रम का विवरण:

- **उद्देश्य:** MTS से लेकर संयुक्त सचिव स्तर तक DoPPW के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण।
- **फोकस:** कर्मचारियों को बेहतर शासन के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी में परिवर्तित करना।
- **शुभारंभ:**
 - श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, DoPPW द्वारा उद्घाटन।

मुख्य उद्देश्य:1. **परिवर्तन थीम:**

- कर्मचारी से कर्मयोगी।
- नियम आधारित से भूमिका आधारित शासन।
- संगठनात्मक परिवर्तन।

2. **फोकस क्षेत्र:**

- राष्ट्रीय कर्मयोगियों के गुणों को समझना।
- राष्ट्रीय कर्मयोगी बनने की प्रेरणा पैदा करना।
- "कर्मयोगी क्षणों" का निर्माण।
- राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देना।

महत्व:

- **सुशासन** को बढ़ावा देता है और **सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली** को मजबूत करता है।
- व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को विभागीय दृष्टि और राष्ट्र निर्माण लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।
- नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन (BRO) भारत सरकार के **रक्षा मंत्रालय** के अंतर्गत एक प्रमुख अवसंरचना निर्माण एजेंसी है। इसकी स्थापना **1960** में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है।

मुख्य जिम्मेदारियां:

1. **अवसंरचना विकास:** दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल और सुरंगों का निर्माण।
2. **रणनीतिक महत्व:** चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के लिए सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
3. **आपदा राहत:** प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सड़क सफाई और पुनर्वास में सहायता।

प्रसिद्ध परियोजनाएं:

- हिमाचल प्रदेश में **अटल सुरंग** का निर्माण।
- अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सीमा सड़कों का विकास।

BRO का आदर्श वाक्य:

"श्रमेण सर्वं साध्यम्" (मेहनत से सब कुछ संभव है)
